



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092020-221852
CG-DL-E-21092020-221852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]
No. 251]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2020/भाद्र 30, 1942
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2020/BHADRA 30, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2020
मामला संख्या: ए सी 06/2020

विषय: चीन जन.गण. से मेजरिंग टेप्स के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की कथित परिवर्चना से संबंधित परिवर्चना रोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 07/36/2020-डीजीटीआर.— मै. एफएमआई लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें यह दलील दी गई है कि चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेजरिंग टेप्स (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” या “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की सिंगापुर और कंबोडिया से निर्यातित मेजरिंग टेप्स {जिसे आगे जांचाधीन उत्पाद या (पीयूआई) भी कहा गया है} के आयातों के माध्यम से परिवर्चित किया जा रहा है।

क. पृष्ठभूमि

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हाल में चीन से मेजरिंग टेप्स के आयातों पर पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की समय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय ने इसे आगे दिनांक 8.7.2020 की अधिसूचना सं. 17/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लागू किया।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. विचाराधीन उत्पाद “मेजरिंग टेप्स” है। विचाराधीन उत्पाद को मूल जांच में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“मेजरिंग टेप्स”, उसके हिस्से घटक आदि सभी प्रकार के स्टील मेजरिंग और फाइबर ग्लास टेप और उनके हिस्से या घटक वर्तमान याचिका की विषय वस्तु हैं, जिनका आम तौर पर किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई आदि नापने में प्रयोग किया जाता है।

इसका प्रयोग फोरमैन, राज मिस्त्री, बढई, वन विभाग और दर्जियों आदि द्वारा किया जाता है। “मेजरिंग टेप्स” का विनिर्माण उच्च गुणवत्ता के टेम्पर्ड कार्बन स्टील ब्लेड, फॉस्फेट से किया जाता है इसे जंग आदि से बचाने के लिए विशेष इनेमल से कोटेड किया जाता है। मेजरिंग टेप्स का प्रयोग निम्नलिखित हेतु होता है:-

क. उच्च सटीकता वाले व्यावसायिक कार्य,

ख. किसी वस्तु की गहराई, चौड़ाई या लंबाई मापने के लिए,

ग. कॉन्ट्रैक्शन और सर्वेक्षण।

4. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय-90 में उपशीर्ष 9017 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

ग. जाँच के अधीन उत्पाद (पीयूआई)

5. जांच के अधीन उत्पाद जो कथित रूप से चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की परिवर्चना कर रहे हैं, सिंगापुर और कंबोडिया से निर्यातित मेजरिंग टेप्स हैं जिन्हें जांचाधीन उत्पाद या पीयूआई भी कहा गया है। पी यू आई को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उप शीर्ष सं. 9017 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग

6. यह आवेदन मै. एफएमआई लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक न तो भारत में किसी आयातक और न ही चीन, सिंगापुर और कंबोडिया में किसी निर्यातक से संबंधित हैं। इसके अलावा आवेदक ने जांच अवधि के दौरान पीयूसी या पीयूआई का आयात नहीं किया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य आधार पर आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर ने नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3) के अर्थ के भीतर आवेदक को घरेलू उद्योग माना है।

ङ. मौजूदा उपाय

7. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हाल में चीन से मेजरिंग टेप्स के आयातों पर पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की समयवधि बढ़ाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 08.07.2020 की अधिसूचना सं. 17/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था। पीयूसी पर मौजूदा उपाय 7 जुलाई, 2025 तक लागू हैं।

च. कथित परिवर्चना और उपचारात्मक प्रभाव को निष्प्रभावी करने के आधार

8. परिवर्चनारोधी जाँच के लिए आवेदन दिनांक 08.07.2020 की अधिसूचना सं. 17/2020- सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा पीयूसी पर लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के सिंगापुर और कंबोडिया से पीयूआई तक विस्तार की मांग करने हेतु दायर किया गया है, जो मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की कथित तौर परिवर्चना कर रहे हैं। आवेदक ने परिवर्चनारोधी जांच की मांग करते हुए निम्नलिखित कारण/साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं:-

- क. सिंगापुर और कंबोडिया में मेजरिंग टेप्स के ऐसे किसी ज्ञात उत्पादक की गैर मौजूदगी, जो पूर्णकालिक उत्पादन कार्यकलाप करता हो, सिंगापुर और कंबोडिया से भारत को पारेषित मेजरिंग टेप्स के निर्यात अधिकांशतः चीन में विनिर्मित हैं, जिनके सिंगापुर और कंबोडिया में उद्गम वाली वस्तु होने का दावा किया गया है। कंबोडिया और सिंगापुर से उत्पाद के निर्यात कथित रूप से चीन से आयातों पर लागू एडीडी की कथित तौर पर परिवर्चना है।
- ख. व्यापार की प्रवृत्ति में बदलाव, जिसके द्वारा चीन से आयातों में गिरावट आई है और सिंगापुर तथा कंबोडिया से आयातों में भारी वृद्धि हुई है।
- ग. पीयूआई के आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं और वे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
9. आवेदक ने जांच की शुरुआत की तारीख से सिंगापुर और कंबोडिया से परिवर्चना वाले उत्पादों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का अनुरोध भी किया है।
10. प्राधिकारी आवेदक द्वारा प्रदत्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नोट करते हैं कि सिंगापुर और कंबोडिया से पारेषित मेजरिंग टेपों के निर्यात चीन जन.गण. से पीयूसी के आयात पर लागू मौजूदा पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को निष्क्रिय कर रहे हैं।
- छ. जांच की शुरुआत**
11. आवेदक द्वारा विहित ढंग और तरीके से दायर आवेदन के आधार पर जिसमें सिंगापुर और कंबोडिया से पीयूआई के आयातों द्वारा चीन जन.गण. से पीयूसी के आयातों पर लागू मौजूदा पाटनरोधी उपाय की परिवर्चना की दलील दी गई है और मौजूदा एडी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को निष्क्रिय करने वाली व्यापार की प्रवृत्ति में परिवर्तन से स्वयं को संतुष्ट करने पर प्राधिकारी एतद्वारा अधिनियम की धारा 9क (1क) और नियमावली के नियम 25 और 26 के अनुसार परिवर्चनारोधी जांच की शुरुआत करते हैं ताकि चीन से आयातित पीयूसी के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का नियमावली के नियम 27 (3) के अनुसार इस जांच की शुरुआत की तारीख से सिंगापुर और कंबोडिया से आयातित पीयूआई तक विस्तार करने पर विचार किया जा सके। प्राधिकारी इस समीक्षा के पूरा होने तक पीयूआई अर्थात् सिंगापुर और कंबोडिया से मेजरिंग टेप्स के सभी आयातों का अनंतिम आकलन करने की सिफारिश करते हैं।
- ज. जांच की अवधि**
12. वर्तमान जांच में जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 (12 महीने) की है और क्षति अवधि में अप्रैल, 2016- मार्च, 2017, अप्रैल, 2017- मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी।
- झ. संबद्ध देश**
13. परिवर्चना में शामिल संबद्ध देश सिंगापुर तथा कंबोडिया है।
- ञ. सूचना प्रस्तुत करना**
14. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in तथा ad11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
15. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
17. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट . समय-सीमा

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 37 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in तथा ad11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
20. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डी जी टी आर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ . गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
22. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
24. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
28. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड . सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

ढ. असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी.बी.स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2020

Case No. AC-06 /2020

Subject: Initiation of anti-circumvention investigation concerning alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on imports of Measuring Tapes from China PR.

F. No. 7/36/2020-DGTR.—M/s FMI Limited (hereinafter referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), as domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), contending that these anti-dumping duties imposed on imports of Measuring Tapes (hereinafter also referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”) are being circumvented by way of imports of Measuring Tapes exported from Singapore and Cambodia [hereinafter also referred to as “Product Under Investigation” or (“PUI”)].

A. Background

2. The Designated Authority recently recommended extension of anti-dumping duty imposed earlier on imports of “Measuring Tapes” from China. Ministry of Finance imposed the same vide Notification No. 17/2020-Customs (ADD) dated 08.07.2020

B. Product under consideration [PUC]

3. The products under consideration is “Measuring Tapes”. The product under consideration defined in the original investigation was as under:

“Measuring Tapes”, its parts and components etc., all type of steel measuring and fibre glass tapes and their parts or components are the subject matter of the present petition is generally used for measuring the length, breadth etc. of an object.

It is used by foreman, mason, carpenter, forestry departments and tailors etc. Measuring Tapes are manufactured from tempered high quality carbon steel blade, phosphate and coated with special enamel to withstand corrosion and rust. Measuring tapes are used for:-

- a. high precision professional jobs;*
- b. measuring depth, width, or length of an object;*
- c. contraction and surveys.*

4. The subject goods are classified under Chapter 90 of the Customs Tariff Act, 1975 under the Sub-headings 9017.

C. Product under Investigation [PUI]

5. The product under investigation which are allegedly circumventing the anti-dumping duty in force on imports of product under consideration from China PR is “Measuring Tapes” exported from Singapore and Cambodia also

referred to as “Product under Investigation” or “PUI”. PUI is classified under subheading 9017 of the Customs Tariff Act. However, customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of the investigations.

D. Domestic Industry

6. The application has been filed by M/s. FMI Limited. The Applicant is neither related to an importer in India nor to any exporter in China, Singapore and Cambodia. Further, the Applicant has not imported the PUC or PUI during the period of investigation. As per evidence available on record, the Applicant's production accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. On the basis of information available, the Authority has considered the Applicants as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. Existing Measures

7. The Designated Authority recently recommended extension of anti-dumping duty earlier imposed on imports of Measuring Tapes from China. Ministry of Finance imposed the same vide Notification No. 17/2020-Customs (ADD) dated 08.07.2020. The existing measure on PUC is in force till 7th July 2025.

F. Grounds for Alleged Circumvention and undermining remedial effect:

8. The application for anti-circumvention investigation has been filed seeking extension of existing anti-dumping duty levied on PUC vide Notification No. 17/2020-Customs (ADD) dated 08.07.2020; to PUI, from Singapore & Cambodia, allegedly circumventing the existing anti-dumping duty. The applicant has furnished reasons/ evidence for seeking anti-circumvention investigation which includes:
 - a) Non-existence of any known producers of Measuring Tapes in Singapore and Cambodia undertaking full-fledged production activities. Exports of Measuring Tapes consigned from Singapore and Cambodia to India are substantially manufactured in China claiming the same as goods originating in Singapore and Cambodia. Exports of the product from Cambodia and Singapore allegedly constitutes circumvention of ADD in force on imports from China.
 - b) Change in pattern of trade whereby imports from China have declined and imports from Singapore and Cambodia have increased significantly.
 - c) The imports of PUI are at dumped prices and are undercutting the prices of the domestic industry.
9. The Applicant has requested retrospective imposition of anti-dumping duty on import of circumventing products from Singapore & Cambodia from the date of initiation of investigation.
10. The Authority on the basis of *prima facie* evidence provided by the Applicant notes that exports of Measuring Tapes consigned from Singapore and Cambodia are undermining the remedial effects of the existing anti-dumping measure imposed on imports of PUC from China PR.

G. Initiation

11. On the basis of the application filed by the Applicant in the form and manner prescribed, contending circumvention of existing antidumping measure imposed on imports of PUC from China PR by imports of PUI from Singapore & Cambodia and having satisfied itself on the change in pattern of trade undermining the remedial effect of the existing AD measure, the Authority hereby initiates an Anti-Circumvention investigation in accordance with Section 9A (1A) of the Act and Rules 25 & 26 of the Rules to consider extension of existing anti-dumping duty on imports of PUC imported from China to the PUI imported from Singapore and Cambodia from the date of initiation of this investigation in accordance with the Rule 27 (3) of the Rules. The Authority recommends provisional assessment on all imports of the PUI i.e. Measuring Tapes from Singapore and Cambodia till the completion of this review.

H. Period of Investigation:

12. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2019- March 2020 (12 Months) and the injury period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the POI.

I. Subject countries

13. The subject countries involved in circumvention are Singapore and Cambodia.

J. Submission of Information

14. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg12-dgtr@gov.in adv13-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in and ad11-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

15. The known exporters, their Government through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
17. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

K. Time Limit

18. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in and ad11-dgtr@gov.in within 37 days from the date of receipt of the notice as per as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
20. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR i.e. www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

L. Submission of Information on Confidential basis

21. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
22. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
23. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

29. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. Non-cooperation

30. In case where an interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority